तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुनिल पारिक बनाम **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 23 / 2024	

15 / 07 / 2024

अपीलार्थी सुनिल पारिक निवासी सेक्टर एच, मकान नं. 31, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.11.2023 में उनके द्वारा उम्मीदवारों अशोक गहलोत, गहेन्द्र सिंह राठौड़, अतुल भंसाली, मनीषा पंवार, अजय त्रिवेदी, देवेन्द्र जोशी, शहजाद खान व रामेश्वर दाधीच के प्रस्तुत शपथपत्रों से संबधित सूचना एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 1919 दिनांक 25.06.2024 को बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी सरदारपुरा, सूरसागर, जोधपुर शहर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये पत्रांक 1268 दिनांक 10.11.2023 से प्रेषित किया गया तथा जरिये पत्रांक 1574–76 दिनांक 29.02.2024 द्वारा स्मरण पत्र जारी कर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। उक्त क्रम में रिटर्निंग अधिकारी जोधपुर शहर ने जरिये पत्रांक 1646 दिनांक 18.03.2024 द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी तथा रिटर्निंग अधिकारी सूरसागर ने अवगत कराया कि वांछित सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवायी जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा चाही गई शेष सूचना प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा एवं रिटर्निंग अधिकारी सरदापुरा से अपेक्षित होने से प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) के स्तर से अपेक्षित नही होकर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर) एवं लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) एवं रिटर्निंग अधिकारी सरदारपुरा) के स्तर पर लंबित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर) एवं लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) एवं रिटर्निंग अधिकारी सरदारपुरा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे अन्यथा नही दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)